पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 219/2023
चेरियाबरियारपुर थाना काण्ड सं0– 141/2023
दिनांक– 10.04.2026
राज्य बनाम नटराज राम

प्ररूप–क

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल,जिला– बेगूसराय

उपस्थित– अवनीन्द्र प्रकाश

अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)

दिनांक– 10.04.2026

समान्य पंजी सं0 – 219/2023

सी.आई.एस. सं0 – 23219/2023

चेरियाबरियारपुर थाना काण्ड सं0– 141/2023

राज्य बनाम नटराज राम

राज्य/सूचक	श्रीमती सुशीला देवी, पति– श्री विजय राम, साकिन– मंझौल–03, वार्ड– 08, थाना– चेरियाबरियारपुर, मंझौल, जिला–बेगूसराय।
सूचक की आरे से विद्वान अधिवक्ता	श्री नितेश कुमार, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकरी, मंझौल (बेगूसराय)
अभियुक्तगण	1. नटराज राम, पिता– स्व0 श्री रामधनी राम, उम्र– 63 वर्ष 2. शांति देवी, पति– नटराज राम, उम्र– 52 वर्ष 3. मनीष राम, पिता– नटराज राम, उम्र– 32 वर्ष 4. कृति कुमारी, पिता– अमित राम, उम्र– 20 वर्ष 5. अमरेश राम उर्फ मीतो, पिता– नटराज राम, उम्र– 35 वर्ष 6. अमित राम, पिता– नटराज राम, उम्र– 41 वर्ष 7. सुजन देवी, पति– अमित राम, उम्र– 39 वर्ष 8. ममता देवी, पति– अमरेश राम उर्फ मीतो, उम्र– 28 वर्ष सभी साकिन– मंझौल–03, वार्ड– 08, थाना– चेरियाबरियारपुर, मंझौल, जिला–बेगूसराय।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री सकिल अहमद, श्रीमति वंदना कुमारी

पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 219/2023
चेरियाबरियारपुर थाना काण्ड सं0– 141/2023

दिनांक– 10.04.2026

राज्य बनाम नटराज राम

प्ररूप–ख

अपराध की तिथि	06.06.2023
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	08.06.2023
आरोप पत्र की तिथि	18.10.2023
संज्ञान की धारा	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0द0वि0
आरोप गठन की तिथि	20.09.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	12.11.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	लागू नहीं।
निर्णय की तिथि	10.04.2026
दण्ड सुनाने की तिथि	लागू नहीं।

अभियुक्तगण की विवरणी

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोप की धारा	निर्दोष /दोषी	अधिरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजन के लिए विचरण के दौरान निरोध की अवधि
1.	नटराज राम	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	शांति देवी	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं

3.	मनीष राम	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कृति कुमारी	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अमरेश राम उर्फ मीतो	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	अमित राम	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	सुजन देवी	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	ममता देवी	लागू नहीं	25.08.2023	147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं

<u>प्रारूप–ग</u>

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/अदालत के गवाहों की सूची

क. अभियोजन पक्ष :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
P.W.-1	सुशीला देवी	सूचक

ख. बचाव पक्ष, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय के गवाह, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के साक्ष्यों के सूची

क. अभियोजन पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P.1/1/P.W.-1	थाना पर दिए आवेदन पर हस्ताक्षर

ख. बचाव पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

घ. भौतिक साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कोई नहीं।	कोई नहीं।

पीठासीन पदाधिकारी–अवनीन्द्र प्रकाश
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 219/2023
चेरियाबरियारपुर थाना काण्ड सं0– 141/2023
दिनांक– 10.04.2026
राज्य बनाम नटराज राम

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण धारा– 147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. अभियोजन का सारांश सूचक के फर्द बयान के अनुसार यह है कि सूचक और अभियुक्तगण के बीच जमीन का विवाद चल रहा था जिसके कारण दिनांक 06.06.2023 को सभी अभियुक्तगण गाली–गलौज कर रहे थे सूचक के परिवार द्वारा मना किया तो अभियुक्तगण सूचक एवं सूचक के पति के साथ गाली–गलौज एवं रड़ तथा लाठी के साथ अचानक हमला कर दिया और मारपीट किया, सूचक के लिखित कथन के आधार पर प्रस्तुत वाद चेरियाबरियारपुर थाना कांड सं0– 141/2023, दिनांक– 08.06.2023 के रूप में अस्तित्व में आया और अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान प्रारंभ किया।

3. अनुसंधानोपरान्त, अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया, तत्पश्चात उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया, अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई।

4. दिनांक 20.09.2024 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसका सारांश न्यायालय में हिंदी में सुनाया गया जिसे सुन कर उन्होंने इंकार किया एवं आगे विचारण का दावा किया।

5. दिनांक 01.04.2026 को अभियोजन का साक्ष्य बंद किया गया, दिनांक 01.04.2026 को द0 प्र0 स0 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तगणों का बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बताया।

6. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं।

साक्षियों के साक्ष्य

7. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 01 साक्षी क्रमशः 01. सुशीला देवी के साक्ष्य का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है।

8. **अभियोजन साक्षी स0 01. सुशीला देवी है,** यह साक्षी दिनांक 01.04.2026 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने साक्ष्य का परीक्षण कराया है, मुख्यपरीक्षण में अभियोजन घटना के बारे में कहा है कि यह केस उसने मनीष कुमार, घोलटा राम अन्य अभियुक्तों पर किया है घटना 2 साल पहले समय शाम 7 बजे उसके घर के आंगन में घटित हुआ था तथा घटना का कारण जमीन का विवाद था। घर के बलग से लड़ाई–झगड़ा हो रहा था तथा लड़ाई–झगड़ा हुआ और उसके साथ मारपीट हुआ था उसके बाद थाना पर जाकर केस किया था। थाना पर दिया गया आवेदन को बोलकर लिखवायी और उसके नीचे अपना हस्ताक्षर किया जिसे वह पहचानती है। जिसे प्रदर्श **P-1/P.W.-1** अंकित किया जाता है।

अभियोजन साक्षी स0 01. सुशीला देवी अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्तगण मेरे गोतिया–दियाद है इसलिए अभियुक्तगण को पहचानती है तथा अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार नही किया था तथा घटना के समय कौन लोग किधर से आये और किधर गए नहीं बता सकते है तथा अभियुक्तों के साथ राजी–खुशी के साथ मेल–मिलाप हो गया है इसलिए संधि के आलोक में मुकदमा समाप्त कर दिया जाय तो उसे कोई आपत्ती नहीं है।

मंतव्य

10. उभय पक्षों के द्वारा दिनांक 01.04.2026 को समझौता आवेदन दाखिल है। अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में धारा– 147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0 के तहत आरोपित है। धारा– 147, 149 भा0 द0 वि0 सुलहनीय नहीं है। अभियुक्तों का विचारण के उपरांत गुण दोष के आधार पर इस मामले का निष्पादन किया जाएगा। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में केवल एक साक्षी जो इस वाद की सूचिका सुशीला देवी है जिनका साक्ष्य का परीक्षण कराया गया है इन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन घटना के बारे में कहा है कि घटना 2 साल पहले समय शाम 7 बजे उनके घर के आंगन में घटित हुआ था तथा घटना का कारण जमीनी विवाद था जबकि प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्तगण उसके गोतिया–दियाद है तथा अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार नही किया था तथा घटना के समय कौन लोग किधर से आये और किधर गए नहीं बता सकती है। एक मात्र साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि सभी अभियुक्त घटना स्थल पर एक साथ आए थे अतः जनायज माजमा बनाने का आरोप साबित नहीं होता है। अभियुक्तों के साथ राजी–खुशी के साथ मेल–मिलाप हो गया है इसलिए संधि के आलोक में मुकदमा समाप्त कर दिया जाय तो उसे कोई आपत्ती नहीं है। इस घटना में अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया

गया है, अनुसंधानकर्ता का भी साक्ष्य का परीक्षण नहीं कराया गया है। सूचिका के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे इसलिए अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

11. अतः इस वाद के अभियुक्तगण **1. नटराज राम, 2. शांति देवी, 3. मनीष राम, 4. कृति कुमारी, 5. अमरेश राम उर्फ मीतो, 6. अमित राम, 7. सुजन देवी, 8. ममता देवी** को आरोपित अपराध की धारा– 147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0 द0 वि0 के आरोप से **संधि के आलोक** में एवं भा0 द0 वि0 की धारा 147, 149 के आरोप से **संदेह का लाभ** देते हुए दोष मुक्त किया जाता है। तथा इनको इनके प्रतिभुओं सहित बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कार्यलय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियत समय में नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

तिथि :– 10.04.2026

(अवनीन्द्र प्रकाश)
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी,
मंझौल (बेगूसराय)।

यह निर्णय मेरे द्वारा शुद्धिकृत एवं हस्ताक्षरित कर के खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

ह0/–

तिथि :– 10.04.2026

(अवनीन्द्र प्रकाश)
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी,
मंझौल (बेगूसराय)।

Date of judgment/ Order	10-04-2026
Date of Reserveing judgemnt/ Order	NA
Uploading Date	10-04-2026
Uploaded by	Anant Kumar (Steno)